प्रकरण संख्या 27/2020 नारायणलाल व अन्य बनाम प्रणव व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.01.2025	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी. प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 लखा डांगी पिता परथा डांगी का स्वर्गवास होने की रिपोर्ट न्यायालय द्वारा भिजवाये गये सम्मन पर तामील कुनिन्दा द्वारा की गयी है, जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मृतक लखा डांगी के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिया जावे। उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के अधिवक्ता ने बताया कि अपीलान्ट को वर्ष 2020 में ही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 लखा डांगी के मृत्यु की सूचना दे दी गयी थी एवं न्यायालय आप द्वारा दिनांक 10.08.2020 को मृतक के कायम मुकाम कराये जाने का आदेश दिया गया था, किन्तु अपीलान्ट द्वारा उसके 4 वर्षो से भी अधिक समय बाद दिनांक 23.12.2024 में कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो 90 दिवस की समय सीमा में प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर अपील अबेट हो चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील अबेटमेन्ट के आधार पर खारिज की जावे। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा आदेश 22 नियम 4 का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2024 को प्रस्तुत किया गया है, जबकि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 02.03.2020 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 लखा डांगी के नाम का जो सम्मन जारी किया गया है उसमें तामील कुनिन्दा ने सम्मन के पृष्ठ भाग पर स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थी की मृत्यु हो चुकी है तथा न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 10.08.2020 को ही मृतक रेस्पोन्डेन्ट 4 लखा डांगी के कायम मुकाम कराने का आदेश दिया गया था। इस प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र 4 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है तथा मियाद कण्डोन करने हेतु धारा 5 का आवेदन भी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अबेट हो जाने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी. खारिज किया जाकर अपील अबेट होने से खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 14.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नंबर से कम की जावे। (कीर्ति राठौड़) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:18:32 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:18:32 IST
Reason: SelfAttested